"प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता" स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थ व्यवस्था का अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूँजीगत लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद पहुँचाकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और राष्ट्रीय आय और संपत्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के लिए पूरक हैं तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान करते हैं।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने तथा मौजूदा तथा भावी उद्यमियों के संगत कौशल का उन्नयन करने के उद्देशय से देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को संवर्धित करता है। नए उद्यमों की स्थापना और नए उद्यमियों के सृजन को संवर्धित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता आ रहा है।

1.3 सूक्ष्म और लघु उद्यम विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के संवर्धन के लिए उद्यमिता विकास एक प्रमुख तत्व है। उद्यमिता और उसके परिणामस्वरूप रोजगार और धन सृजन समावेशी विकास का एक प्रमुख साधन है। इसलिए उद्यमिता विकास दुनियाभर के देशों की प्राथमिकताओं में एक रहा है।

1.4 नए उद्यमों के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा उपयुक्त रूप से साधन-संपन्न बनाने के उद्देश्य से, सरकार उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती आ रही है। ये संस्थान प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करते आ रहे हैं तथा उन्हें अपने उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान करते आ रहे हैं। सरकार कार्यक्रम सहायता के माध्यम के साथ-साथ प्रशिक्षण आधार अवसंचरना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराकर उद्यमिता को गति देने एवं संवर्धित करने के लिए सतत और सघन प्रयास करती है।

1.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के प्रशिक्षण सह इंक्यूबेटर केन्द्र (टीआईसी), केन्द्रीय औजार कक्ष (प्रौद्योगिकी केन्द्र), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र जैसे नियमित

आधार पर कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण शुरू करने हेतु संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है।

2. उद्देश्य

एटीआई स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण हेतु क्षमता सुदृढ़ करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का कार्य देखने वाले जिला उद्योग केन्द्रों तथा संबंधित सरकारी संस्थानों के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना और इन प्रशिक्षणों को शुरू करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों की समग्र क्षमता को सुदृढ़ करना है। कौशल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसएफक्यू) द्वारा अनुमोदित मॉड्यूल के अनुसार दिया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास शुरू करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्र स्तरीय संस्थानों में वास्तविक अवसंरचना और मानव संसाधन (एच.आर) दोनों का क्षमता निर्माण करना है। राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक प्रमुख राष्ट्र स्तरीय संस्थान है। एमएसएमई मुद्दों पर कई राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान कार्यरत हैं। राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहायता प्रदान करने के लिए काफी स्टाफ है। इस स्कीम में राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र और उद्योग विभाग में कार्यरत स्टाफ की क्षमता सुधारने का भी प्रस्ताव है।

3. स्कीम के अंतर्गत सहायता

3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम/ओ एमएसएमई) के प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता

3.1.1 पात्रता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों की नई शाखाएं/केन्द्र खोलने सहित अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार करने और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के राजस्व घाटे की पूर्ति, यदि कोई हो, के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

3.1.2 सहायता का स्केल

सहायता की राशि प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण/विस्तार तथा निम्समे के राजस्व घाटे की पूर्ति, आदि के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि से अधिक नहीं होगी।

3.2 राज्य स्तरीय ईडीआई को सहायता

3.2.1 पात्रता

(i) मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई (उद्यमिता विकास संस्थान) अर्थात् जो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, को स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन या सुदृढ़ीकरण/विस्तार करने हेतु सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ii) वित्तीय सहायता भवन निर्माण, प्रशिक्षण सहायता/उपकरणों, कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटरों की खरीद और अन्य सहायता सेवाएं जैसे पुस्तकालय/डाटाबेस आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मामले में विशेष आवश्यकताओं के लिए होगी। भूमि की लागत, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, आदि केन्द्र सरकार के अनुदान की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

(iii) स्कीम के अंतर्गत नई ईडीआई की स्थापना के लिए, अब से, वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, पूर्व में अनुमोदित या वचनबद्ध प्रस्तावों पर पूर्व संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए कार्रवाई की जाएगी।

3.2.2 सहायता का स्केल

(i) राज्य स्तरीय ईडीआई को स्कीम के अंतर्गत अधिकतम सहायता प्रत्येक मामले में 250 लाख रूपये तक सीमित होगी। इस अनुदान का वास्तविक अवसंरचना के विकास, उपकरण, फैकल्टी प्रशिक्षण एवं एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्षमता विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। यह अनुदान एटीआई स्कीम के अंतर्गत पूर्व में संस्थान द्वारा प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगा।

(ii) इस श्रेणी के अंतर्गत अनुदान के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व वाले और नियंत्रित ईडीआई का राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार चयन किया जाएगा।

3.2.3 अन्य शर्तें

(i) सभी प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के माध्यम से आएंगे और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की सिफारिश अपेक्षित होगी।

(ii) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान को निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा करना अपेक्षित होगा तथा स्वीकृत पत्र में निर्धारित अवधि में स्वीकृत सहायता का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। परियोजना पूर्ण करने में हुए विलम्ब की स्थिति में समय-सीमा का विस्तार औचित्य के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्राप्त करना होगा।

(iii) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से लिखित अनुमति लिए बिना इस स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता के उपयोग से सृजित परिसंपत्तियों को न तो बेचेंगे अथवा न ही पट्टे पर देंगे अथवा नहीं किसी प्रकार का प्रभार सृजित करेंगे।

(iv) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना उद्यमिता विकास संस्थान के ढाँचे (फॉर्म) अथवा मूल स्वरूप/बेसिक करैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान का चार्टर जो इसके उद्देश्यों को दर्शाता है ,उसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की लिखित अनुमति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

(v) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान प्रतिवर्ष अपने लेखा की लेखा-परीक्षा करवाएंगें तथा वित्तीय सहायता की प्राप्ति के उपरांत कम से कम 5 वर्ष की अवधि के वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट में निर्माण कार्यकलाप , मशीनरी/उपकरण आदि की प्राप्ति के ब्यौरे शामिल होंगे। वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित किए गए लेखाओं के साथ समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा संपादित कार्यकलापों के ब्यौरे शामिल होने चाहिए। रिपोर्ट में प्रतिभागियों/प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षुओं के ब्यौरे तथा सफल उद्यमियों जिन्होंने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं ,के ब्यौरे भी शामिल होंगे।

(vi) सहायता प्राप्त उद्यमिता विकास संस्थान को किसी भी समय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सत्यापन के लिए अनुदान निधियों के उपयोग से प्राप्त परिसंपत्तियों/उपकरणों का एक निर्धारित परिसम्पत्ति रजिस्टर रखना अपेक्षित होगा।

(vii) समयावधि में स्वीकृत निधियों के उपयोग में असफल अथवा इसके दुरुपयोग ,दुर्विनियोजन अथवा पथांतर अथवा उक्त शर्तों में से किसी एक या अधिक का उल्लंघन करने की स्थिति में सरकार के पास अन्य कानूनी और/या आर्थिक दंड लगाने, जैसा आवश्यक समझें ब्याज सहित के अतिरिक्त, सम्पूर्ण सहायता राशि वसूलने का अधिकार होगा।

(viii) केन्द्र सरकार सहायता की स्वीकृति/ जारी करने से पूर्व, यथा आवश्यक समझें ऐसी अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

3.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता

3.3.1 पात्रता

(i) निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों को कौशल विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती हैः

(क) निम्समे, (ख) एनएसआईसी, (ग) केवीआईसी, (घ) कयर बोर्ड, (ङ) औजार कक्ष/प्रौद्योगिकी केन्द्र, (च) एमगिरी।

(ii) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता राजस्व प्रकृति की होगी।

(iii) केन्द्र सरकार सहायता की स्वीकृति/ जारी करने से पूर्व, यथा आवश्यक समझें ऐसी अन्य शर्तें निर्धारित कर सकती है।

3.3.2 सहायता का स्केल

(i) स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एनएसक्यूएफ अनुपालन (कम्प्लाइंट) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण इनपुट के घंटों की संख्या) की अवधि के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना सं.एच-22011/2/2014-एसडीई-I के तहत अधिसूचित निम्नलिखित आधार दरों के अनुसार निर्धारित की जाएगी जैसा समय-समय पर संशोधित किया।

श्रेणी I पाठ्यक्रमः 38.50 रु. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा प्रशिक्षण
श्रेणी II पाठ्यक्रमः 33.00 रु. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा प्रशिक्षण
श्रेणी III पाठ्यक्रमः 27.50 रु. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा प्रशिक्षण

(ii) अनुदान की पहली किस्त पहले जारी की जाएगी। बाद की किस्तें पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति के आधार पर जारी की जायेगी।

(iii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा 60 रुपए की दर से (अथवा, सामान्य मानदण्ड/एनएसक्यूएफ के अंतर्गत, जो भी कम हो, निर्धारित दर) प्रदान की जाएगी।

(iv) अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रत्येक मामले में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(v) उपर्युक्त दर अनुसार जारी करने के लिए विचारार्थ सहायता की कुल राशि में पात्र प्रशिक्षुओं के चयन के लिए प्रेरणा शिविर, स्थान और उपकरण का भाड़ा प्रभार (यदि कोई हो), बिजली/पानी, लेखन सामग्री, परियोजना कार्मिक की तैनाती के कार्य के घंटे की लागत, प्रशिक्षणोपरांत अनुवर्ती कार्यकलापों आदि जैसे ऊपरी खर्च शामिल हैं।

(vi) प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपनी यात्रा और ठहरने के लिए स्वयं प्रबंध करने की प्रत्याशी की जाएगी। यदि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो प्रशिक्षु से वही प्रभार लिया जा सकता है (सामान्य मानदंड/एनएसक्यूएफ के अधीन)। यात्रा, भोजन और आवास खर्च एवं वृत्तिका आदि की प्रतिपूर्ति के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों आदि की स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/लाभों से इस स्कीम के अंतर्गत सहायता सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुमत्य होगी। तथापि, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण संस्थान की होगी कि एक से अधिक स्कीम के अंतर्गत एक ही प्रयोजन के लिए द्विरावृत्ति नहीं की गई है और सहायता के लिए दावा नहीं किया गया है।

3.3.3 अन्य शर्तें

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सीधे प्रस्तुत करेंगे। स्क्रीनिंग कमिटी प्रस्ताव की उपयुक्तता, प्रशिक्षण संस्थान की सक्षमता, क्षमता और अनुभव/विगत कार्य निष्पादन, निधियों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करेगी और अनुमोदन के लिए सचिव (एमएसएमई) को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी।

(ii) अनुमोदन के बाद, मंत्रालय राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों को अपेक्षित निधियां देगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, संबंधित संस्थान मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। संबंधित संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं की वास्तविक भागीदारी को प्रमाणित करते हुए इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(iii) स्क्रीनिंग कमिटी आवेदक प्रशिक्षण संस्थान की सक्षमता, क्षमता और अनुभव की जांच के लिए मानदंड भी निर्धारित करेगी।

(iv) केन्द्र सरकार और/अथवा संबंधित राष्ट्र स्तरीय संस्थान भी अपने कार्यालयों के माध्यम से या एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, जैसा आवश्यक समझे, आगे जांच अथवा सत्यापन कर सकते हैं।

(v) यदि बाद में ऐसा पाया जाता है कि उस सहायता का दावा झूठा या धोखाधड़ी-पूर्वक किया गया है या उसी मद/कार्यकलाप के लिए सहायता का दावा किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत भी किया गया है तो सरकार संपूर्ण सहायता राशि को ब्याज के साथ वसूलने तथा वैसी अन्य कानूनी और/अथवा दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हकदार होगी, जैसा आवश्यक समझे।

4. आवेदन की प्रक्रिया

स्कीम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ईडीआई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों से उक्त पैरा 3.1 से 3.3 के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए प्रस्ताव उपसचिव/निदेशक (ईडीआई अनुभाग), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को प्रस्तुत किए जाएंगे। उपर्युक्त पैरा 3.1 से 3.3 के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तावों को विचारार्थ नीचे पैरा 5 में गठित, स्क्रीनिंग कमिटी को प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। स्क्रीनिंग कमिटी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों की जाँच करेगी और सचिव (एमएसएमई) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। सचिव (एमएसएमई) के अनुमोदन के पश्चात् आवेदक संगठन को सूचित किया जाएगा और स्वीकार्य वित्तीय सहायता अनुमोदित पत्र के अनुसार जारी की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी प्रशिक्षण

संस्थान/गैर-सरकारी संगठन को अवसंरचना सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहायता के लिए स्कीम में कवर नहीं किया जाता है।

5. स्क्रीनिंग कमिटी

उपर्युक्त पैरा-4 में स्क्रीनिंग कमिटी की संरचना निम्नानुसार होगी :

(i) संयुक्त सचिव (एसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - **अध्यक्ष**।

(ii) आर्थिक सलाहकार (वित्त) अथवा उनके प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।

(iii) विकास आयुक्त (एमएसएमई) के प्रतिनिधि।

(iv) उप सचिव/निदेशक (ईडीआई अनुभाग), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।

(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय/विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में प्रस्ताव के संबंधित प्रभाग के उप सचिव/निदेशक।

(vi) अवर सचिव (ईडीआई अनुभाग),सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - **सदस्य सचिव**।

** स्क्रीनिंग कमिटी विशेष आमंत्रित प्रस्तावों से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकती है:

6. मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

स्कीम की प्रगति की पर स्क्रीनिंग कमिटी और सचिव (एमएसएमई) द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर मॉनीटरिंग की जाएगी। स्कीम के समग्र प्रभाव का चौदहवें वित्त आयोग के चक्र अर्थात् 2019-20 के अंत में एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।

*****